



हरियाणा HARYANA

A 785201

7244

ट्रस्ट डीड

स्टाम्प 70/- रुपये

गिरीराज एजुकेशन एवम् चैरिटेबल ट्रस्ट,

विद्या नगर, महन रोड़, भिवानी (हरियाणा)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सूबेदार राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरनारायण उम्र लगभग 57 वर्ष स्थाई निवासी गांव व डा. सांगा जिला भिवानी का हूँ। मैं स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक तथा जन हितार्थ गतिविधियों के विकास एवं विस्तार एवं संचालन, शिक्षा साहित्य, कला, शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य, पत्रकारिता, समाज सम्बन्धी तथा अन्य जनहितार्थ कार्यों हेतु एक चैरिटेबल, धर्मार्थ, सामाजिक एवं एजुकेशनल, ट्रस्ट की स्थापना हेतु अपनी स्वेच्छा से ट्रस्ट कोष में 5100/- रुपये देकर ट्रस्ट की स्थापना करता हूँ। इसकी सम्पूर्ण जानकारी निम्न

प्रकार से है --

1- 711 -

ट्रस्ट का नाम गिरीराज एजुकेशन एवम् चैरिटेबल ट्रस्ट होगा।

Chairman *Rumender*  
Giriraj Education & Charitable Trust  
Meham Road, BHIWANI (HR)

Principal *Bhanu*  
Model Sanskriti Public School  
KHARAK KHURD (Bhiwani)



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

RS-20

TWENTY  
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA

02AA 588426

-2-

2- प्रमुख कार्यालय :-

ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय विद्या नगर, महम रोड़, भिवानी (हरियाणा) में होगा।  
ट्रस्ट के ट्रस्टियों को इसकी अन्यत्र शाखायें खोलने या अपने निर्णय के अनुसार  
स्थान आदि परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

3- ट्रस्ट का कोष

इस समय इस ट्रस्ट के कोष में मैं 5100/- रुपये देता हूँ और इसके अतिरिक्त  
भविष्य में जो भी वृद्धि होगी वह सब ट्रस्ट की सम्पति समझी जाएगी। इसके  
अतिरिक्त जो राशि ट्रस्ट के कोष हेतु प्राप्त होगी वह ट्रस्ट के कोष में वृद्धि  
करेगी।

Chairman  
Giriraj Education & Charitable Trust  
Aham Road, BHIWANI (HR)

Parmender

RS

Principal  
Model Sanskriti Public School  
KHARAK KHURD (Bhiwani)



4- उद्देश्य :-

ट्रस्ट के निम्न उद्देश्य व प्रयोजन होंगे -

- (1) भारतीय नागरिकों में श्रेष्ठ नागरिकता व भारतीय संस्कृति की भावना पैदा करने के लिए प्रयत्न करना।
- (2) शिक्षा के प्रसार हेतु स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, शैक्षणिक व तकनीकी संस्थान, आई.टी.आई., जे.बी.टी., डी.एड., बी.एड., पोलिटैक्निक, सिलाई केन्द्र, कम्प्युटर शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र तथा अन्य रोजगार जैसे ANM, GNM, BSC Nursing, BDS, BAMS, MBBS, Pharmacy, MPHEW, B.Tech., M.Tech., M.Sc., Fashion, LL.B. POLYTECHNIC, BBA, MBA, MCA, PGDCA, PGDM इत्यादि विभिन्न बाकी सभी प्रकार के शिक्षण आदि आदि कोर्सों के लिए संस्थाओं को स्थापित करना एवं संचालन करना तथा ऐसी अन्य संस्थाओं की सहायता करना, किसी ऐसे चल रहे समिति संस्था या संस्थान का अधिग्रहण करना तथा उसकी व्यवस्था करना।
- (3) देश में शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु तथा अपने संस्थान हेतु Deemed University या University की मान्यता प्राप्त करना या स्वयं का विश्वविद्यालय स्थापित करना।
- (4) विद्या के प्रसार के लिए समय समय पर सेमीनार, भाषण प्रतियोगिता, सम्मेलन, प्रदर्शनी, विचार गोष्ठियाँ, वर्कशाप तथा अन्य आयोजन करना।

PS

Principal  
Model Sanskriti Public School  
KHARAK KHURD (Bhiwani)

Chairman  
Giriraj Education & Charitable Trust  
Meham Road, BHIWANI (HR)

- (5) महापुरुषों व विश्व वन्दनीय पुरुषों की जयन्ती मनाकर उनके विचारों के प्रचार-प्रसारार्थ सार्वजनिक सभा, प्रवचन, अधिवेशन, कवि सम्मेलन, मेला व कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- (6) विद्यार्थियों में नैतिकता, चरित्र निर्माण, देश-प्रेम, स्वाभिमान तथा राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने हेतु उपाय करना।
- (7) कला, विज्ञान, सम्यता, संस्कृति, साहित्य, मानवता, कृषि, शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के क्षेत्र में, शोध कार्यों में विकास विस्तार या प्रसार के लिए शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना और इसके लिए शोधशाला, प्रयोगशाला, प्रशिक्षण केन्द्र आदि की स्थापना करना, उनका संचालन व प्रबन्धन करना तथा विकसित राष्ट्र के लिए नैतिक तथा चारित्रिक शिक्षा का विकास करना।
- (8) जन साधारण हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, औषधालय, सिलाई केन्द्र, मन्दिर, धर्मशाला, योगसाधना ध्यान केन्द्र, प्याऊ आदि का निर्माण करना तथा उसका संचालन करना।
- (9) सम्पूर्ण मानव जाति के शैक्षणिक व बौद्धिक विकास तथा उत्थान हेतु प्रयत्न करना।
- (10) विधवा व असहाय स्त्रियों, असहाय व अनाथ बच्चों, आश्रयहीन वृद्ध व्यक्तियों तथा योग्य छात्र-छात्राओं की उचित सहायता करना। गरीब कन्याओं के विवाह में सहायता करना। इस प्रयोजन हेतु कोष की स्थापना करना, धन संग्रह करना तथा उसकी व्यवस्था करना।

*PS*

Chairman *Ramender*  
Girraj Education & Charitable Trust  
Mehar Road, BHIWANI (HR)

Principal *Bhupendra*  
Model Sanskriti Public School  
KHARAK KHURD (Bhiwani)

- (11) विभिन्न बिमारियों मुख्यतः कैंसर, हृदय, वमा, आंखों व एड्स आदि के निराकरण हेतु कैंप लगवाना व जरूरतमन्दों को दवाईयों की व्यवस्था कराना, मोबाईल व स्थाई डिस्पेन्सरी या अस्पताल का संचालन करना व बनवाना।
- (12) अकाल पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, भूकम्प पीड़ित, अग्नि या तूफान पीड़ित तथा आकस्मिक किसी भी तरह की दुर्घटनाग्रस्त लोगों की हर प्रकार से सहायता करना।
- (13) समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयत्न करना।
- (14) चारित्रिक व समाज उत्थान सन्बन्धी प्रेरक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करना। उसकी व्यवस्था करना अथवा संग्रहालय बनाना।
- (15) उपरोक्त उद्देश्यों/कार्यों हेतु सहायता, चन्दा, अनुदान, ऋण इत्यादि किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, वित्तीय संस्थान या बैंक इत्यादि से प्राप्त करना।

अन्य ऐसे सभी कार्य जिनका वर्णन ऊपर नहीं आया, परन्तु जो शिक्षा, समाज, कला-संस्कृति व जन कल्याणार्थ के लिए ट्रस्टीगण उचित समझें, कर सकते हैं।

#### 5- बोर्ड आफ ट्रस्टीज -

ट्रस्ट का एक बोर्ड आफ ट्रस्टीज होगा जिसकी संख्या कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक ग्यारह होगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति समय-2 पर ट्रस्ट अपनी बैठकों में करता रहेगा।

PS



प्रारम्भ में मैं निम्नलिखित आठ व्यक्तियों को मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में ट्रस्टीज नियुक्त करता हूँ ।

क्र.स.	नाम व पिता/ पति का नाम	पता	उम्र	व्यवसाय	पद
1-	श्री परमेन्द्र पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह	गांव व डा. सांगा जिला भिवानी	36	समाजसेवी	अध्यक्ष
2-	श्री वजीर पुत्र श्री तारा चन्द	विद्या नगर, महम रोड़, भिवानी	45	"	उपाध्यक्ष
3-	श्री कुलविन्द्र पुत्र श्री राज कुमार	ए-1, बैंक कालोनी, भिवानी	34	"	सचिव
4-	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री उमराव सिंह	गांव बालावास जिला रिवाड़ी	40	"	सहसचिव
5-	श्री उर्मिला पत्नी श्री रामकुमार	ए-1, बैंक कालोनी, भिवानी	55	"	कोषाध्यक्ष
6-	श्री परमेश्वरी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह	गांव सांगा जिला भिवानी	60	"	सदस्य
7-	श्री उमराव सिंह पुत्र श्री उदय राम	गांव बालावास जिला रिवाड़ी	70	"	सदस्य
8-	श्री खजान सिंह पुत्र श्री तारा चन्द	विद्या नगर, भिवानी	59	"	सदस्य

इन्हें बोर्ड ऑफ ट्रस्टी समझा जायेगा ।

6- ट्रस्टीयों के कर्तव्य और अधिकार :-

- (1) ट्रस्ट की सम्पति की सुरक्षा करना, स्थायित्व व वृद्धि के लिए आवश्यक प्रयत्न करना ।

Chairman Parmender  
Giriraj Education & Charitable Trust  
Meham Road, BHIWANI (HR)

Principal  
Model Sanskriti Public School  
KHARAK KHURD (Bhiwani)

- (2) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति, परिवार व्यक्तियों के समूह से नकद या चल-अचल सम्पत्ति दान या घन्डे के रूप में स्वीकार करना तथा उस हेतु रसीद जारी करना।
- (3) ट्रस्ट की आय को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खर्च करना।
- (4) ट्रस्ट की पूंजी बढ़ाने हेतु जमीन, मकान, वाहन अथवा अन्य कोई वस्तु खरीदना, परिवर्तन करना अथवा विस्तार करने हेतु छोटी सम्पत्ति को बेचना।
- (5) ट्रस्ट या उसके किसी भाग से सम्बन्धित दावा, झगड़ा, हिसाब-किताब, कर्जा, समझौता या फँसला स्वीकार करना या त्यागने का अधिकार।
- (6) ट्रस्टियों की बैठक में अधिकृत/स्वीकृत बैंक, डाकखाना, वित्तीय संस्थान में खाता खोलना तथा उसका संचालन करना।
- (7) अचल सम्पत्ति की मरम्मत करवाना, निर्माण करना, टैक्स भरना तथा इस हेतु आवश्यक सभी खर्चे करना।
- (8) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समितियों व उपसमितियों का गठन करना, उन्हें कार्य विशेष पर आवश्यक धन खर्च करने का अधिकार देना। इन समितियों में ट्रस्टियों से बाहर के व्यक्तियों को भी सदस्य बनाया जा सकता है लेकिन समिति का संयोजक कोई ट्रस्टी ही होगा। ट्रस्टी बहुमत से, बनी हुई समिति को भंग भी कर सकते हैं।
- (9) ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी के खिलाफ कार्यवाही करना, उसे ट्रस्टीशिप से हटाने का निर्णय लेना।
- (10) कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन का निर्धारण करना व उनकी पदोन्नति करना।

PS



- (11) ट्रस्ट की सम्पत्ति को किराया, पट्टा या काशत पर देना । किरायेदार या पट्टेदार से किरायानामा व पट्टानामा लिखवाना, दावा दायर करना, कोई दरखास्त आदि देना जिस पर ट्रस्ट की तरफ से अध्यक्ष, महासचिव या अधिकृत ट्रस्टी ही हस्ताक्षर करेगा ।
- (12) ट्रस्ट के हिसाब-किताब को आडिट करवाना तथा आडिटर की नियुक्ति करना ।
- (13) ट्रस्ट के उद्देश्यों और नियमों का पालन करना ।
- (14) ट्रस्टीगण को अन्य सभी कार्य करने का अधिकार होगा जो आवश्यकतानुसार एवं व्यावहारिक रूप से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करने जरूरी हों ।
- (15) ट्रस्ट के विकास के लिए हर सम्भव प्रयास करना व नए ट्रस्टियों की आवश्यकता अनुसार नियुक्ति करना ।

#### 7- ट्रस्ट की सदस्यता मुक्ति-

निम्नलिखित हालात में ट्रस्टी बोर्ड की ट्रस्टीशिप से हट जायेगा और उसका स्थान रिक्त समझा जायेगा-

- (1) अगर उसका देहान्त हो जाता है, या वो पागल हो जाता है या दिवालिया हो जाता अथवा किसी न्यायालय द्वारा उसका अपराधी घोषित कर दिया जाता है या वह स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देता है । ऐसी हालत में उसकी मृत्यु तिथि, पागलपन, दिवालिया अपराधी घोषित होने की तिथि से या त्यागपत्र स्वीकृति की तिथि से ट्रस्ट की सदस्यता से अलग समझा जायेगा ।
- (2) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के कुल ट्रस्टीगण के तीन चौथाई सदस्यों द्वारा हटाया जाना पारित करने पर, ऐसे में उन्हें कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा ।



रिक्त स्थानों की पूर्ति अन्य किसी योग्य व्यक्ति, जिसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होगी, लेकर, ट्रस्ट की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार की जा सकेगी।

8- वर्ष -

ट्रस्ट वित्तीय वर्ष के अनुसार अपना कार्य करेगी। वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद अपने खातों का अंकेक्षण करवाकर अंकेक्षित रिपोर्ट ट्रस्ट की वार्षिक समा में सभी ट्रस्टियों के समक्ष रखेगा। आय-व्यय का हिसाब कोषाध्यक्ष के पास रहेगा।

9- ट्रस्ट की बैठकें -

बोर्ड आफ ट्रस्टीज की वर्ष में कम से कम दो साधारण सदन की बैठक होगी। जिसमें एक में वर्ष भर का आय-व्यय प्रस्तुत किया जायेगा। बैठक की अध्यक्षता-अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगा। भिवानी से बाहर रहने वाले ट्रस्टी अपना मत लिखित रूप से (प्रोक्सी) बोर्ड के किसी भी ट्रस्टी के पक्ष में भेज सकेंगे।

10- कोरम :

बैठक का कोरम कुल ट्रस्टियों की संख्या का आधा होगा। आधा घन्टे बाद नोन कोरम बैठक भी वैध होगी लेकिन उसमें कोई विशेष निर्णय नहीं लिया जा सकेगा जो एजेण्डे में नहीं होगा।

11- बैठक सूचना -

साधारणतः प्रत्येक बैठक को महासचिव बुलाएगा लेकिन विशेष परिस्थिति में यदि कम से कम आधे ट्रस्टी लिखित में आवेदन देकर बैठक बुलाने की कहते हैं तो महासचिव, अध्यक्ष की जानकारी से बैठक बुलायेगा। बैठक की सूचना निम्न समयावधि पर देनी होगी।

- |                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| 1- साधारण बैठक    | - | एक सप्ताह     |
| 2- विशेष बैठक     | - | एक दिन        |
| 3- आपातकालीन बैठक | - | 3 घन्टे पूर्व |

12- निर्णय विधि -

बैठक में खर्ची विषयों पर पहले विचार होगा जो एजेण्डे में है, उसके बाद अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार होगा।

बैठक में प्रत्येक बात का निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर होगा। अनुपस्थित ट्रस्टियों द्वारा भेजी गई प्रॉक्सी भी एक वोट के रूप में मान्य होगी। किसी विषय पर बराबर-बराबर मत होने पर अध्यक्ष को निर्णायक वोट (कास्टिंग वोट) देने का अलग से अधिकार होगा।

13- विशेष -

- (1) ट्रस्ट के प्रत्येक दस्तावेज पर अध्यक्ष या महासचिव के हस्ताक्षर होंगे।
- (2) ट्रस्ट के खिलाफ या ट्रस्ट द्वारा सभी मुकदमें गिरीराज एजुकेशन एवम् चैरिटेबल ट्रस्ट, भिवानी के नाम पर किये जायेंगे।
- (3) ट्रस्ट के धन को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में स्वीकृत बैंक डाकखाने अथवा संस्थान में जमा करवाया जायेगा। ट्रस्ट के धन को किसी कार्य में लगाने से होने वाली आकस्मिक हानि के लिए कोई ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप में जुम्मेवार नहीं होगा। जब तक वह नुकसान किसी के द्वारा जानबूझ कर नहीं किया गया हो।

अध्यक्ष के कर्तव्य और अधिकार -

- (1) ट्रस्ट के प्रत्येक कार्य में रूचि लेकर ट्रस्ट द्वारा पारित उद्देश्यों और प्रयोजनों को पूरा करना व कराना, ट्रस्ट की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना।
- (2) आवश्यकतानुसार विशेष बैठक बुलाने का निर्देश महासचिव को देना तथा चलती हुई बैठक को स्थगित करना।
- (3) प्रत्येक ट्रस्टी को आज्ञा से बोलने देना। आज्ञा उल्लंघन करने पर निष्कासन का आदेश देना।



(4) ट्रस्ट के कार्यों हेतु एक बार में 10000/- रुपये खर्च करने का अधिकार रहेगा।

### उपअध्यक्ष के कर्तव्य व अधिकार -

- (1) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वे समस्त कार्य करना जिनका अधिकार अध्यक्ष को है व उनके कर्तव्यों का भी पालन करना। लेकिन बैंक, डाकखाने या वित्तीय संस्थान के खाता संचालन का अधिकार नहीं होगा।
- (2) अध्यक्ष को उनके कार्यों में मदद करना।
- (3) ट्रस्ट के कार्यों हेतु एक बार में 7500/- रुपये खर्च करने का अधिकार।

### सचिव के कर्तव्य व अधिकार -

- (1) सभी बैठके निकालना, उनकी सूचना सभी सदस्यों को देना। बैठकों का संचालन करना।
- (2) ट्रस्ट का रिकार्ड मीटिंग व एजेण्डा रजिस्टर सुरक्षित रखना तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत करना।
- (3) ट्रस्ट सम्बन्धी पत्र व्यवहार करना, कानूनी कार्यवाही करना, कोर्ट केस आदि करना व उसमें ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करना।
- (4) वार्षिक रिपोर्ट आय-व्यय आदि तैयार करके साधारण सदन में प्रस्तुत करना।
- (5) सभी कागजातों पर हस्ताक्षर करना। बिलों के वाऊचर बनाना व भुगतान हेतु कोषाध्यक्ष को भेजना।
- (6) ट्रस्ट कार्यालय से सम्बन्धित सभी कार्यों का संचालन करना।
- (7) एक बार में ट्रस्ट के कार्यों हेतु 7500/- रुपये खर्च करने का अधिकार होगा।



**सहसचिव के कर्तव्य व अधिकार -**

- (1) सचिव की अनुपस्थिति में सचिव को वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो सचिव के खातों का सिवाय बैंक, डाकखाने या वित्तीय संस्थान चलाने के अधिकार के प्रदत्त हैं।
- (2) सचिव के कार्य में मदद देना।

**कोषाध्यक्ष के कर्तव्य व अधिकार -**

- (1) ट्रस्ट की आय-व्यय का ब्यौरा रखना।
- (2) अध्यक्ष अथवा महासचिव द्वारा पारित किये गये बिलों का भुगतान करना।
- (3) 10000/- रुपये से अधिक नकद राशि को तीन दिन के अन्दर स्वीकृत बैंक आदि में जमा करवाना।
- (4) चन्दा या दान की रसीद देना उसका पूरा हिसाब रखना।
- (5) वार्षिक आय-व्यय तैयार करके अंकेक्षित करवाना तथा सचिव को देकर साधारण सदन में प्रस्तुत करना।

**सह-कोषाध्यक्ष के कर्तव्य व अधिकार -**

- (1) कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सह कोषाध्यक्ष को वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो कोषाध्यक्ष को प्रदत्त हैं।
- (2) कोषाध्यक्ष के कार्य में मदद देना।

**विशेष :-** कोई भी उपरोक्त वर्णित पदाधिकारी निरन्तर दो बार से अधिक बार उसी

पद पर निर्वाचित/नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।






उपनियम -


- (1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की तिथि, समय, स्थान की सूचना ट्रस्टी के ज्ञान पते पर भेजी जायेगी। ट्रस्टी के व्यक्तिगत रूप में ना मिलने पर उसके मजदूरिक सम्बन्धी या कर्मचारी को सूचना दी जायेगी।
- (2) महासचिव यथा सुविधा व्यक्तिगत रूप में या डाक द्वारा बैठक की सूचना सभी ट्रस्टियों को भेजता रहेगा।
- (3) यदि किसी कारणवश ये ट्रस्ट भंग करना पड़े तो इस पर किन्हीं भी ट्रस्टियों का व्यक्तिगत अधिकार नहीं रहेगा बल्कि इसे किसी ऐसे ट्रस्ट को सौंप दिया जायेगा जिसके उद्देश्य इस ट्रस्ट से मिलते जुलते हो। ट्रस्ट को भंग करने का निर्णय ट्रस्टियों की विशेष बैठक में तीन चौथाई ट्रस्टियों की सहमति से होगा।

अतः यह ट्रस्टडीड गाज दिनांक 09-11-2010 को निम्न गवाहों की साक्षी में लिखी है तथा इस पर मैं संस्थापक ट्रस्टी बतौर हस्ताक्षर करता हूँ।

गवाह

1-   
राजेन्द्र सिंह  
2-   
गोपाल कृष्ण पोपली



  
राजेन्द्र सिंह  
(ट्रस्ट निर्माता/संस्थापक)

प्रारूप लेखक:-   
गोपाल कृष्ण पोपली,  
एडवोकेट, भिवानी

Reg. No.  
7244

Reg. Year  
2010-2011

Book No.  
1



न्यासी

गवाह

न्यासी

गवाह 1:- फलक उय नम्बरदार

गवाह 2:- प्रताप सिंह नम्बरदार

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 7,244 आज दिनांक 09/11/2010 को बही न: 1 जिल्द न: 633 के पृष्ठ न: 90 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 6,266 के पृष्ठ सख्या 85 से 87 पर बिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहो ने अपने हस्ताक्षर/निहान अंगुठ मेरे सामने किये है ।

दिनांक 09/11/2010

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी  
संयुक्त पंजीयन  
न्यासी

Chairman Parmender  
Giriraj Education & Charitable Trust  
Meham Road, BHIWANI (HR)

Principal  
Model Sanskrit Public School  
KHARAK KHURD (Bhiwani)





हरियाणा HARYANA

B 866814

पूरक न्यास पत्र/ट्रस्टी नियुक्ति पत्र

(Supplement Trust Deed/Appointment of Trustees)

मैं परमेश्वर उग्र करीब 39 वर्ष पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी गांव सांगा तहसील व जिला भिवानी हाल निवासी चौखानी ईस्टेट, भिवानी बतौर अध्यक्ष ट्रस्टी "गिरीराज एजुकेशन एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट" का हूँ जो कि हमारा यह ट्रस्ट कार्यालय सब रजिस्ट्रार भिवानी में क्रम संख्या 7244, बही नम्बर 1, जिल्द नम्बर 633 के पृष्ठ नः 90 पर दिनांक 9-11-2010 को रजिस्ट्री शुदा हैं जिसकी नकल अतिरिक्त बही नम्बर 1 जिल्द नम्बर 6266 के पृष्ठ 85 से 87 पर चेपी हुई हैं। इस ट्रस्ट का ट्रस्ट डीड (न्यास पत्र) लिखते समय पूरी सावधानी बरतने के बावजूद भी इसमें पदाधिकारियों का कार्यकाल व ट्रस्ट डीड में संशोधन तथा जरूरत अनुसार ट्रस्ट के लिए ऋण लेने का प्रावधान लिखना रह गया। चूंकि ट्रस्ट का शिक्षण संस्थान बमुकाम खरक खुर्द हैं इसलिए ट्रस्ट डीड में लिखे हुये मुख्य कार्यालय के स्थान को भी तब्दील करना आवश्यक हो गया हैं, क्योंकि पत्राचार में कठिनाई आती हैं। इनके ईलावा इस ट्रस्ट के तीन ट्रस्टीगण उपाध्यक्ष श्री वजीर सिंह, सचिव कुलविन्द्र तथा सह सचिव श्री नरेश कुमार ने दिनांक 1-12-2013

Chairman *Sarwender*  
Giriraj Education & Charitable Trust  
Meham Road, BHIWANI (HR)

Principal *[Signature]*  
Model Sanskrit Public School  
KHARAK KHURD (Bhiwani)



को अपने अपने पद से तथा ट्रस्टी शिप से त्याग पत्र दे दिया था जो कि उनके त्याग पत्र प्रस्ताव दिनांक 8-12-2013 के अनुसार स्वीकार किये जा चुके है तथा इस ट्रस्ट के पांच नये ट्रस्टी 1- श्रीमती सावित्री देवी धर्मपत्नी श्री खजान सिंह निवासी विद्या नगर, भिवानी, 2- राजकुमार सिंह परमार पुत्र श्री कर्ण सिंह निवासी ए-1, बैंक कालोनी, भिवानी, 3- सुरेश जांगिड़ पुत्र श्री उमरावत सिंह निवासी मकान नः 312, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी 4- अनिल कुमार पुत्र श्री रामोतार, 5- श्रीमती नीरज धर्मपत्नी श्री अनिल कुमार निवासियान गांव तिगड़ाना हाल निवासी बी-1, श्याम कुंज, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी बजरिये प्रस्ताव दिनांक 27-11-2013, 15-12-2013 की रूह से नियुक्त किये गये है।

*Forwarded*

इसलिए मैं अपने तन मन की स्वस्थ अवस्था में बिना किसी के दबाव व धमकाव के यह तहरीर पूरक न्यास पत्र/ट्रस्टी नियुक्ति पत्र (Supplement Trust Deed/Appointment of Trustees) लिखे देता हूँ और इकरार करता हूँ कि आज से इस Supplement Trust Deed / Appointment of Trustees में उलिखित संशोधनो को रजिस्ट्री शुदा ट्रस्ट डीड दिनांक 9-11-2010 का भाग समझा जावे और उसमें पढ़ा जावे। इस पूरक न्यास पत्र/ट्रस्ट नियुक्ति पत्र (Supplement Trust Deed/Appointment of Trustees) में लिखे हुये नियमों तथा ट्रस्टीमण्डल को मूल ट्रस्ट डीड का उसी तरह से हिस्सा समझा जावे जिस तरह से आरम्भ में ही इन नियमों ( प्रावधानो ) को उस ट्रस्ट डीड में लिखा गया होता। मूल ट्रस्ट डीड में किये गये संशोधनो का विवरण निम्नलिखित हैं :-

- a) ट्रस्ट डीड रजिस्ट्री शुदा क्रमांक 7244 दिनांक 9-11-2010 के पेज नम्बर 2 पर क्लाज नः 2 प्रमुख कार्यालय में लिखे शब्द “ ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय महम रोड़, भिवानी (हरियाणा) में होगा। ” के स्थान पर “**ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय माडल संस्कृति सीनियर सैक्रेण्डरी स्कूल, पानी की टंकी के पास, खरक खुर्द तहसील व जिला भिवानी (हरियाणा) होगा।**” समझा जावे।

Chairman *Sarmender*  
Girraj Education & Charitable Trust  
Meham Road, BHIWANI (HR)

Principal *[Signature]*  
Model Sanskriti Public School  
KHARAK KHURD (Bhiwani)



b) ट्रस्ट के उद्देश्य नः 15 के बाद एक नया उद्देश्य नः 16 तथा ट्रस्टीयो के कर्तव्य व अधिकार में एक नया अधिकार नः 16 निम्नलिखित तौर पर ट्रस्ट डीड में पढ़ा जावे है :-

16-किसी भी बैंक, फाईनैन्स संस्था, सरकारी, अर्धसरकारी, गैर सरकारी वितीय संस्था से ऋण लेना एवं उसकी जमानत के लिए ट्रस्ट की सम्पति को रहन, बैय, पट्टा करना और समयानुसार कानूनी आवश्यकता हो तो इन कार्यों के लिए ट्रस्टीगण जिस किसी ट्रस्टी को अधिकृत करेगे उसे ट्रस्ट की तरफ से ट्रस्ट की सम्पति को रहन, बैय, पट्टा करने के लिए अधिकार होगा।

*Parmender*

c) क्लाज नः 5 बोर्ड आफ ट्रस्टीज के बाद एक नई क्लाज 5(a) पदाधिकारियो का कार्यकाल निम्नलिखित तौर पर ट्रस्ट डीड में पढ़ी जावे :-

**5(a) पदाधिकारियो का कार्यकाल :-**

ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

d) क्लाज नः 13 विशेष के बाद एक नई क्लाज नः 14 संशोधन निम्नलिखित तौर पर ट्रस्ट डीड में पढ़ी जावे :-

**14-संशोधन:-**

यदि किसी समय न्यास-पत्र (ट्रस्ट डीड) में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या किसी अन्य कानूनी आवश्यकता अनुसार संशोधन करना अनिवार्य हो जाये तो ट्रस्टीगण ऐसा संशोधन केवल इस विषय में 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कर सकेगे। यहां निर्दिष्ट बहुमत 3/4 बहुमत से अभिप्राय ट्रस्टी मण्डल में नियुक्त ट्रस्टीयों की संख्या

Chairman *Parmender*  
Giriraj Education & Charitable Trust  
Meham Road, BHIWANI (HR)

Principal *[Signature]*  
Model Sanskriti Public School  
KHARAK KHURD (Bhiwani)

के 3/4 बहुमत से होगा न कि केवल उपस्थित ट्रस्टीगण के 3/4 बहुमत से।

वर्तमान ट्रस्टीज एवं पदाधिकारियों के नाम व पते निम्नलिखित हैं :-

- 1- श्री परमेन्द्र पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी गांव सांगा तहसील व जिला भिवानी हाल निवासी चौखानी ईस्टेट, भिवानी। (अध्यक्ष)
- 2- श्री राजकुमार सिंह परमार पुत्र श्री कर्ण सिंह निवासी ए-1, बैंक कालोनी, भिवानी तहसील व जिला भिवानी (उपाध्यक्ष)
- 3- श्री अनिल कुमार पुत्र श्री रामोतार निवासी गांव तिगड़ाना हाल निवासी बी-1, श्याम कुंज, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी। (सचिव)
- 4- श्रीमती सावित्री देवी धर्मपत्नी श्री खजान सिंह निवासी विद्या नगर, भिवानी तहसील व जिला भिवानी। (सह-सचिव)
- 5- श्रीमती उर्मिला पत्नि श्री रामकुमार निवासी ए-1, बैंक कालोनी, भिवानी तहसील व जिला भिवानी (कोषाध्यक्ष)
- 6- श्रीमती परमेश्वरी पत्नि श्री राजेन्द्र सिंह निवासी गांव सांगा तहसील व जिला भिवानी।
- 7- श्री खजान सिंह पुत्र श्री ताराचन्द निवासी विद्या नगर, भिवानी तहसील व जिला भिवानी।
- 8- श्री उमराव सिंह पुत्र श्री उदय सिंह निवासी गांव बालावास जिला रेवाड़ी।
- 9- सुरेश जांगड़ा पुत्र श्री उमरावत सिंह निवासी मकान नः 312, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी
- 10- श्रीमती नीरज धर्मपत्नी श्री अनिल कुमार निवासियान गांव तिगड़ाना हाल निवासी बी-1, श्याम कुंज, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी

अतः यह पूरक न्यास पत्र/ट्रस्टी नियुक्ति पत्र (Supplement Trust

Chairman *Sarwender*  
Giriraj Education & Charitable Trust  
Meham Road, BHIWANI (HR)

Principal *Sarwender*  
Model Sanskriti Public School  
KHARAK KHURD (Bhiwani)



Deed/Appointment of Trustees) आज दिनांक 14-1-2014 को निम्नलिखित गवाहन के सामने बमुकाम भिवानी लिख दिया कि समय पर काम आवे। मजमून प्रलेख मिकर की हिदायत अनुसार तैयार किया गया और उसको शब्द शब्द पढ़कर सुनाया व समझाया गया जो कि उसने सुनकर व समझकर दुरुस्त तसलीम किया और अपने हस्ताक्षर किये। लेखाकार: श्याम लाल जांगड़ा एडवोकेट, भिवानी।

*Shyam Lal* E.N. P-743/1483

मिकर ट्रस्टी

*Sarmender*

परमेन्द्र पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह

साक्षी-1 *B. S. Sharma*  
श्री कुलदीप शर्मा एडवोकेट,  
चैम्बर नः 165, डिस्ट्रीक कोर्ट,  
भिवानी।

साक्षी-2

*K. S. Singh*  
श्री कुलविन्द्र पुत्र श्री राजकुमार सिंह,  
निवासी बैंक कालोनी, भिवानी।

Chairman *Sarmender*  
Girraj Education & Charitable Trust  
Meham Road, BHIWANI (HR)

Principal *K. S. Singh*  
Model Sanskriti Public School  
KHARAK KHURD (Bhiwani)

प्रलेख नः 10392

दिनांक 14/01/2014

ट्रस्ट का नाम <b>TRUST</b> तहसील/मंडल/जिला <b>भिवानी</b> गांव/शहर <b>भिवानी शहरी क्षेत्र</b>	डाह संबंधी विवरण  
धन संबंधी विवरण	
1/1/14 प्रलेख नं. को राशि 50.00 रुपये 10/1/14	स्टाम्प ड्यूटी की राशि 50.00 रुपये पंजीयन शुल्क 3.00 रुपये

Service Charge: 100.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनांक 14/01/2014 दिन मंगलवार समय 1:11:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी राजेंद्र पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी राजेंद्र निवासी सागा द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।



उप/सर्वोक्त पंजीयन अधिकारी, भिवानी

प्रलेखन अधिकारी श्री/श्रीमती/कुमारी गिरिश रजपूत द्वारा जारी है: प्रस्तुत प्रलेख को तथ्यों को देना पक्षों के बीच समझकर स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी कुलदीप शर्मा कर्मा पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी 1 व श्री/श्रीमती/कुमारी कुलदीप पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी राजेंद्र निवासी 1 ने की। साक्षी नः 1 को हम नथरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनांक 14/01/2014

उप/सर्वोक्त पंजीयन अधिकारी, भिवानी

Chairman Parminder  
Guraj Education & Charitable Trust  
Mehran Road, BHIWANI (HR)

PARIS EX

Principal  
Model Sanskriti Public School  
KHARAK KHURD (Bhiwani)



Reg. No.  
10392

Reg. Year  
2013-2014

Book No.  
1



गवार

नाम

पता

संस्था का पता

पृष्ठ 2 - कुल

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रवेश क्रमांक 10,392 और दिनांक 14/01/2014 को बही नः 1 बिन्दु नः 692 के पृष्ठ नः 109 पर पंजीकृत किया गया तथा इसको एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 बिन्दु नः 7,637 के पृष्ठ सख्या 81 से 82 पर लिपिकार्ड गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा में सामने किये हैं।

दिनांक 14/01/2014

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी  
भियानी

Chairman, Karmendra  
Sriya Education & Charitable Trust  
Market Road, BHAWANI (HR)

Principal  
Model Sanskrit Public School  
KHARAK KHURD (Bhiwani)